न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2018 / 00395

[illegible]/2018

[illegible]देवीलाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

[illegible]ओम बिशन पुत्र श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

[illegible]शंकरलाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन 3 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –:अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम।

तारीख रजू:– 25.06.2018

[illegible]त:

[illegible] सोहनलाल जोशी व श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

[illegible]जपेरोकार सरकार अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय––

दिनांक : 24.10.2024

[illegible] में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को दिनांक 18.05.1992 को चक [illegible]एसडी के खाता संख्या 83 मु.नं. 6 पं.नं. 147 / 328 के कि.नं. 1 ता 15 में 3.795 है. भूमि [illegible] आवंटन कर दी र्थी। इसी चक के खाता संख्या 137 के मु.नं. 6 पं.नं. 147 / 328 के कि.नं. [illegible] में 0.127 है. प्रार्थीगण को दिनांक 17.12.2007 को एवं इसी चक के खाता संख्या 42 के मु. [illegible] पं.नं. 147 / 328 के कि.नं. 16 / 2 ता 25 / 2 में कुल 2.277 है. भूमि प्रार्थीगण के पिता [illegible]रूप को आवंटन हुई, परन्तु प्रार्थीगण के पिता सन् 1983 में मृत्यु हो गई, इसलिए प्रार्थीगण ने [illegible]मि की बकाया किश्ते राजकोष में जमा करवाई थी इसकी सनद खातेदारी दिनांक 29.071995 [illegible]र्थीगण के नाम से प्रसारित की गई थी आवंटन आदेश चक 3 एमएसडी के खाता संख्या 83 [illegible] 6 पं.नं. 147 / 328 के कि.नं. 1 ता 15 में 3.795 है. भूमि का प्रसारित किया गया कि इस [illegible]न आदेश में ओमबिशन की जगह ओम प्रकश हो गया और शंकरलाल की जगह राजाराम [illegible] गया, देवीलाल का नाम देवीलाल ही लिख गया है इसी प्रकार इसी चक के खाता सं. 42 के [illegible] 6 पं.नं. 147 / 328 के कि.नं. 16 / 2 ता 25 / 2 में कुल 2.277 है. भूमि की सनद व जमाबन्दी [illegible] की गई थी जिसमें ओमबिशन की जगह ओमविष्ण लिखा गया। इसी चक के खाता संख्या [illegible] मु.नं. 6 पं.नं. 147 / 328 के कि.नं. 16 / 1 में 0.127 है. का प्रार्थीगण के नाम से [illegible]/जमाबंदी जारी किया गया, जिसमें ओमबिशन की जगह ओमविष्णु लिखा गया जो कि [illegible]न से लिखा गया जो गलत लिखा गया है तथा दुरूस्ती के लायक है। इसी आवंटन आदेश के [illegible]सार जब इस चक की जमाबंदी तैयार हुई तो उसमें भी उपरोकत प्रकार से शंकरलाल की जगह [illegible]राम व ओम बिशन की जगह ओम प्रकाश लिखा गया यह एक सद्भाविक भूल है जिसे सुधारा [illegible]ना आवश्यक है। यह नामों की गतली किसी [illegible] के पहचान पत्र, [illegible]धार कार्ड आदि सब कागजों में प्रार्थीगण का नाम ओम बिश[illegible] लिखा हुआ है [illegible]र्थीगण को इस गलती की जानकारी फसल हाडी को बेचने के [illegible]दावरी प्रमाण [illegible] जरूरी कागजात लिये तब पता चला इससें [illegible] को राजस्[illegible]कार्ड के कागजात की [illegible]रूरत नहीं पडी इसलिए भी इस गतली का प[illegible] आदि व [illegible]जस्व अभिलेख की जरूरत पडी तो यह समस्या [illegible] बहुत बडी समस्या है [illegible]जसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवाकर अपने नामा रजिस्व रिकार्ड में सही [illegible]ना चाहते है। प्रार्थीगण [illegible] आवंटन प्रमाण में भी दोनो के नाम ओम बिशन व शंकरलाल पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई है जो [illegible]ही है। अगर इस प्रकार से प्रार्थीगण के नामो की दुरूस्ती की जाती है तो अप्रार्थी को किसी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:56 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

की कोई क्षति नहीं होगीं बल्कि प्रार्थी के अधिकारों की रक्षा होगी। प्रार्थी व वादग्रस्त भूमि भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और दुरूस्ती करने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को है र दरख्वास्त 2 रूपये के न्यायालय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। लिहाजा दरख्वास्त मय ामा प्रस्तुत कर निवदेन है कि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में चक 3एसएसडी के खाता 83 के मु.नं. 6 पं.नं. 147/328 कि.नं. 1 ता 15 में 3.795 हे. की सनद खातेदारी व आवंटन में राजाराम की जगह शंकरलाल लिखा जावे व ओमप्रकाश की जगह ओम बिशन लिखा

कार से इसी चक के खाता संख्या 137 मुरब्बा नं. 6 पं. नं. 147/ 328 कि.नं. 16/1 मे 0. के आवंटन का पट्टा / जमाबन्दी में ओमविष्णु की जगह ओमबिशन किया जावे। इसी के खाता संख्या 42 मु.नं. 6 पं.नं. 147/328 के कि.नं. 16/2 तर 25/2 में 2.277 है. भूमि की /जमाबन्दी में ओमविष्णु की जगह ओमबिशन किया जावे व इनका आवंटन आदेश में भी ना रूस्ती की जाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राथी को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्राथी की तरफ सीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 2681 दिनांक 13.06.2024 से मौका रिपोर्ट से करवाया है कि पटवारी हल्का 2 एलसी से रिपोट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पअवारी चक सडी में प्रार्थी का नाम जरिये विरासतन नामान्तरण स. 53 द्वारा पं.नं. 147/328 मु.नं. 6 का 16 ता 25 का रकबा देवीलाल–ओम बिशन–शंकरलाल पि. रामस्वरूप के नाम से दर्ज रिकार्ड ग्राम पंचायत 5 टीके द्वारा जारी वारिसनामा में भी देवीलाल– ओम विष्णु–शंकरलाल पि. रूप ती नही वारिस अंकित है। तथा नामा. सं. 123 किस्म हुकुभव (आवंटन) दिनांक 23.10. द्वारा मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 15 में राजाराम–ओमप्रकाश–देवीलाल पि. रामस्वरूप कौम ई साकिन 2 टीके हाल 3 एमएसडी वालीग पुत्र भूमि आवंटन का नामान्तरण दर्ज रिकार्ड चक 3 एमएसडी खाता संख्या 46/42 मु.नं. 6 पं.नं. 147/328 के कि.नं. 17 सालम कमाण्ड कब्जाकाश्त में अप्रार्थी संख्या 1 हिस्से की 0.759है. भूमि पर इस न्यायालय का प्रकरण सं. 024 आरजीएमएस न. 2024/90 धारा 212 राज.काश्त.अधि. के तहत दिनांक 10.5.2024 तक आदेश है। प्रार्थी के उक्त नाम ओम विष्णु , ओमविष्णु व ओमप्रकाश एक ही व्यक्ति के है नहीं , इस हेतु पटवारी हल्का 2 एल सी व 5टी के की रिपोर्ट सलंग्न है। तहसीलदार हनगर ने अपनी रिपोर्ट में पार्टी नं. 2 का नाम ओमविष्णुं व ओमप्रकाश के स्थान पर ओम किया जाना की रिफारिश की है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट लदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक ानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम त 5 टी के एवं पटवार हल्का 2 एल सी व 5 टी के , तहसील रायसिंहनगनर के चक 3 एम डी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 83/61 की छायाप्रति, आधार कार्ड छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम पंचायत 5 टी के, पटवार हल्का 2 एल सी व 5 टी के , , ील रायसिंहनगर के चक 3 एम एस डी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 61 एवं खाता नं. 137 के कॉलम स. 4 में राजाराम के स्थान पर शंकर लाल एवं ओमप्रकाश स्थान ओमबिशन किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि राजाराम की जमीन सीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट के अनुसार शंकर लाल की भूमि अंगूरीदेवी पत्नि राजाराम शंकरलाल के नाम दर्ज हो चु[illegible] 5 टी के द्वारा प्रमाणित किया कि मप्रकाश उर्फ ओमविष्णु व ओमबिशन एक ही व्यक्ति [illegible] है। इसे दोनों नामों से जाना चाना जाता है। अतः वाद पत्र [illegible] रायसिंहनगर , वादीगण के द्वारा तुत पहचान सम्वन्धी दस्तावेजात, [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत 5 टी के के तस्दीक प्रमाण पत्र आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र [illegible] हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:56 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्रकरण संख्या 42/2018 अनवान
देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 24.10.2024

–:आदेश:–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136–राजस्व धिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 टी टवार हल्का 2 एल एल व 5 टी के , तहसील रायसिंहनगर के चक 3 एम एस डी की दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 83/61 एवं खाता नं. 137 में कॉलम 4 पर त नाम ओमप्रकाश के स्थान पर ओम बिशन दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल र/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:56 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner